अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

बसनी फेज-2, जोधपुर-342005 (राजस्थान)

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन)

वेबसाइट: http://www.aiimsjodhpur.edu.in

विज्ञापन संख्या : एडमिन/ऐस्ट/02/2018-एम्स.जेडीएच

विषय: संस्थान में मुख्य रोकड़िया, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, स्टोरकीपर, रोकड़िया और स्टोर कीपर एवं लिपिक के पद सीधे भर्ती के आधार पर भरा जाना.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर, (राजस्थान) द्वारा विभिन्न गैर-शिक्षण पदों के लिए सीधे भर्ती के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं. पदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	पद का नाम, वेतनमान और अनिवार्य पात्रता मानदंड	समूह	आयु सीमा	रिक्तियों* की संख्या और आरक्षण	विकलांगता श्रेणी, जिसके लिए उपयुक्त के रूप में पद की पहचान की गई है	चयन प्रक्रिया
1.	**मुख्य रोकड़िया** पे मैट्रिक्स लेवल 7 में मूल वेतन रु. 44900/- **योग्यता/अनुभव** i. वाणिज्य में स्नातक ii. सरकारी संगठन में रोकड़ और लेखा कार्य परिचालन का 5 वर्ष का अनुभव हो.	ख	21-35 वर्ष	01* (अना-01)	ए.हा., दो.पै., ए.पै., मांसपेशीय कमजोरी	केवल लिखित परीक्षा
2.	**कनिष्ठ लेखा अधिकारी** पे मैट्रिक्स लेवल 6 में मूल वेतन रु. 35400/- **योग्यता/अनुभव** i. वाणिज्य में स्नातक ii. सरकारी संगठन में लेखा कार्य परिचालन का 2 वर्ष का अनुभव हो.	ख	21-30 वर्ष	01* (अना-01)	ए.हा., ए.पै., दो पै, और श्र.वि	केवल लिखित परीक्षा
3.	**स्टोरकीपर** पे मैट्रिक्स लेवल 6 में मूल वेतन रु. 35400/- **योग्यता/अनुभव** i. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री; ii. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पदार्थ प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा; **अथवा** iii. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पदार्थ प्रबंधन में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो और स्टोर परिचालन (मेडिकल स्टोर को वरीयता) में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो.	ख	18-35 वर्ष	21* (अना-12, अपिव-05 अजा-03, अजजा-01)	ए.हा., ए.पै., और श्र.वि	केवल लिखित परीक्षा
4.	**रोकड़िया** पे मैट्रिक्स लेवल 4 में मूल वेतन रु. 25500/- **योग्यता/अनुभव** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से वाणिज्य में डिग्री; **और** i. सरकारी संगठन में लेखा कार्य परिचालन का 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो. **और** ii. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रवीणता प्राप्त की हो.	ग	21-30 वर्ष	11* (अना-09, अपिव 01, अजा-01) इनमें 01 पद विकलांग व्यक्ति के लिए और 01 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है.	ए.हा., दो.पै., ए.पै., मांसपेशीय कमजोरी	केवल लिखित परीक्षा
5.	**स्टोर कीपर एवं लिपिक** पे मैट्रिक्स लेवल 2 में मूल वेतन रु. 19900/- **योग्यता/अनुभव** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक योग्यता प्राप्त की हो और स्टोर परिचालन में 1 वर्ष का अनुभव हो. **वांछनीय :-** मान्यताप्राप्त संस्थान से पदार्थ प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा.	ग	30 वर्ष तक	85* (अना-45, अपिव 22, अजा-12, अजजा 06) इनमें 03 पद विकलांग व्यक्ति के लिए और 08 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित हैं.	ए.हा., दो.पै., श्रवि	केवल लिखित परीक्षा

एहा-एक हाथ, **दोपै**-दोनों पैर, **एपै**-एक पैर, **एमडब्ल्यू**-मांसपेशीय कमजोरी, **श्रवि**-श्रवण विकलांग.

नोट:

1. *उपरोक्त रिक्तियां अस्थायी हैं और परिवर्तन के अधीन हैं. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर को भारत सरकार के नियमों/परिपत्रों और अपेक्षाओं के अनुसार आरक्षित रिक्तियों सहित सभी रिक्तियों में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है.
2. आरक्षण भारत सरकार की नीति के अनुसार दिया जाएगा.
3. आयु और अन्य योग्यताओं की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आधार मान कर की जाएगी.
4. अनुभव की अवधि, जहां कहीं निर्धारित की गई हो, की गणना निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद से की जाएगी.
5. भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 10.6.2015 के अनुसार संसदीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में समकक्ष संस्थान और संसदीय अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा ओपन और दूरस्थ शिक्षण पद्धति के जरिए प्रदत्त सभी डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, जिनमें तकनीकी शिक्षा डिग्रियां और डिप्लोमा भी शामिल हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में रोजगार के प्रयोजन के लिए स्वतः मान्यताप्राप्त समझे जाएंगे, परंतु, वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित होने चाहिए.

सामान्य शर्तें

1. इन पदों के लिए जोधपुर, राजस्थान में तैनात, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सामान्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे.
2. सभी प्रकार से पात्रता मानदंड पूरे करने वाले इच्छुक आवेदक केवल **ऑनलाइन मोड** से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं. आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा एम्स, जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट **http://www.aiimsjodhpur.edu.in** पर उपलब्ध है. उपरोक्त पदों के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन जमा कराने का लिंक और अन्य अपेक्षित जानकारी रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से सक्रिय कर दी जाएगी. **ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन बाद पड़ने वाली तारीख होगी.** ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सहित कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है. परंतु, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की एक हार्ड कॉपी, शुल्क भुगतान के प्रमाण (चालान/ऑनलाइन भुगतान रसीद की एक प्रति) सहित, अपने रिकॉर्ड के लिए रखें.
3. इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदित पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए. यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, अन्यथा उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे.
4. ऑनलाइन आवेदन जमा कराने का लिंक **रोजगार समाचार/एम्प्लायमेंट न्यूज में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन बाद** बंद कर दिया जाएगा. जो उम्मीदवार निर्धारित तारीख और समय के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और इस बारे में किसी पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.
5. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से करना होगा.
6. **उम्मीदवार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नवीनतम फोटो नाम सहित, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन करते समय स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए.** यदि फोटो/हस्ताक्षर वेबसाइट पर निर्धारित स्थान पर लघु आकार में दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका यह अर्थ होगा कि फोटो/हस्ताक्षर, एम्स, जोधपुर द्वारा निर्धारित आकार के नहीं हैं और ऐसी स्थिति में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. उम्मीदवारों को अपना फोटो और हस्ताक्षर ध्यानपूर्वक अपलोड करना चाहिए. ये दोनों ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में स्पष्ट दिखाई देने चाहिए.
7. **आवेदन शुल्क**

1) **अजा/अजजा/शावि/महिला उम्मीदवारों के लिए - रु. 200/-***

* 200/- रुपये का यह शुल्क उम्मीदवार के लिखित परीक्षा में बैठने पर बैंक खर्च काटने के बाद विधिवत रूप से लौटा दिया जाएगा.

2) **अन्य सभी श्रेणियों (सामान्य/अपिव) के लिए - रु. 1000/-**

3) उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो एम्स, जोधपुर के पेमेंट गेटवे के ज़रिए किया जा सकता है. ट्रांजेक्शन/प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा बैंक को किया जाएगा.

4) **आवेदन शुल्क एक बार अदा किए जाने के बाद, ऊपर प्वाइंट नं 1 पर वर्णित को छोड़कर, किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा.**

5) निर्धारित शुल्क से रहित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाएगा.

8. **आयु में छूट:**

1) ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को आधार मान कर किया जाएगा.

2) एम्स, जोधपुर द्वारा आयु के निर्धारण के लिए मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को ही स्वीकार किया जाएगा और बाद में उसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

3) **अजा/अजजा/अपिव उम्मीदवारों को अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के मामले में आयु में छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी.**

4) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को सरकारी आदेशों के अनुसार श्रेणीवार स्वीकार्य ऊपरी आयु सीमा में छूट का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में स्वीकार्य छूट
1.	अजा/अजजा	5 वर्ष
2.	अपिव	3 वर्ष
3.	शावि	10 वर्ष
4.	शावि+अपिव	13 वर्ष
5.	शावि+अजा/अजजा	15 वर्ष
6.	1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि में जम्मू कश्मीर राज्य के सामान्य अधिवासी उम्मीदवारों को	5 वर्ष

(क्रमशः)

क्र. सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में स्वीकार्य छूट
7.	राज्य सरकार/केंद्र और राज्य सरकार के स्वायत्त संस्थानों/एम्स, जोधपुर में सेवारत नियमित कर्मचारियों, जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो.	5 वर्ष
8.	किसी विदेश के साथ युद्ध के दौरान अथवा अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और नतीजतन सेना से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिक **(अनारक्षित/सामान्य)**	3 वर्ष
9.	किसी विदेश के साथ युद्ध के दौरान अथवा अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और नतीजतन सेना से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिक **(अपिव)**	6 (3+3) वर्ष
10.	किसी विदेश के साथ युद्ध के दौरान अथवा अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और नतीजतन सेना से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिक **(अजा/अजजा)**	8 (3+5) वर्ष
समूह 'ख' पदों के लिए		
11.	**भूतपूर्व सैनिक और ईसी ओज़/एसएससीओज़ सहित कमिशंड अधिकारी-समूह 'क' और 'ख' पदों के लिए**	**क)** 5 वर्ष की छूट, इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि शपथ लेने के बाद भूतपूर्व सैनिक ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी की हो. यह छूट ऐसे ईसीओज/एसएससीओज़ को भी मिलेगी, जिन्होंने सैन्य सेवा की 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली हो और जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 5 वर्ष से आगे बढ़ाया गया हो और जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय ने इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया हो कि चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा. इस पैरा के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आयोग के समक्ष निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. **नोट:** ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य आयु में छूट का लाभ प्राप्त करके कोई सिविल पद पहले ही हासिल कर चुके हैं, को केंद्र सरकार के अधीन अन्य उच्चतर पद या सेवा के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी. परंतु, ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के पदों में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. **ख)** उपरोक्त (क) के अंतर्गत छूट के लाभ का पात्र बनने के लिए, सम्बद्ध उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेनाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया है. भूतपूर्व सैनिकों और ईसीओज़/एसएससीओज़ सहित कमीशंड अधिकारियों के मामले में ऐसे प्रमाणपत्र पर नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए-और उसमें रक्षा सेनाओं में सेवा की अवधि निर्दिष्ट की जानी चाहिए: **(i) ईसीओज़/एसएससीओज़ सहित कमीशंड अधिकारियों के मामले में: सेना:** कार्मिक सेवाएं निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली **नौसेना:** कार्मिक सेवाएं निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली **वायुसेना:** कार्मिक सेवाएं निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली **(ii) नौसेना और वायुसेना के जेसीओज़/ओआर्स के मामले में:** **सेना:** विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा **नौसेना:** नौसेना रिकॉर्ड्स, मुम्बई **वायुसेना:** वायुसेना रिकॉर्ड्स, नई दिल्ली
12.	1) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी **(सामान्य/अनारक्षित)** जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.	5 वर्ष
	2) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी **(अपिव)** जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.	8 (5+3) वर्ष
	3) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.	10 (5+5) वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए		
13.	भूतपूर्व सैनिक	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख की सैन्य सेवा में अदा की गई सेवा अवधि को उम्मीदवार की वास्तविक आयु में से घटाने के बाद 3 वर्ष
	1) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी **(सामान्य/अनारक्षित)** जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.	40 वर्ष की आयु तक
	2) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी **(अपिव)** जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.	43 वर्ष की आयु तक
	3) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी **(अजजा/अजजा)** जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली हो.	45 वर्ष की आयु तक
15.	विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक दृष्टि से विलग महिला, जिसने पुनर्विवाह न किया हो. **(अनारक्षित/सामान्य)**	35 वर्ष की आयु तक
16.	विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक दृष्टि से विलग महिला, जिसने पुनर्विवाह न किया हो. **(अपिव)**	38 वर्ष की आयु तक
17.	विधवा/तलाकशुदा महिला/न्यायिक दृष्टि से विलग महिला, जिसने पुनर्विवाह न किया हो. **(अजा/अजजा)**	40 वर्ष की आयु तक

नोट-1: भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ उठा कर पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत सिविल साइड में नियमित आधार पर सुरक्षित रोजगार प्राप्त कर चुका हो, उसे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत पुनर्रोजगार के लिए आरक्षण के लाभ का हकदार नहीं समझा जाएगा. परंतु, वे नियमानुसार आयु में छूट के पात्र होंगे.

नोट-2: सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की ''कॉल अप सेवा'' अवधि को नियमानुसार आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेनाओं में अदा की गई सेवा समझा जाएगा.

नोट-3 : संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक तभी समझा जाएगा, जब उसने पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा विधिवत रूप से हासिल कर लिया हो और/या वह इस तथ्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह बर्खास्त या दुराचरण या अक्षमता के कारण डिस्चार्ज को छोड़कर, आवेदन प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की निर्धारित अवधि में सशस्त्र सेनाओं की निर्दिष्ट सेवा अवधि पूरी कर लेगा.

स्पष्टीकरण: भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है -

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायुसेना में युद्धक अथवा गैर-युद्धक के रूप में किसी रैंक में सेवा की हो, **और**

(क) जो ऐसी सेवा से स्वयं के अनुरोध पर अथवा पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा डिस्चार्ज किया गया हो; **अथवा**

(ख) जो सैन्य सेवा से सम्बद्ध चिकित्सा आधार पर अथवा स्वयं के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण सेना से कार्यमुक्त किया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई हो; **अथवा?**

(ग) जिसे सैन्य प्रतिष्ठान में कटौती के फलस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; **अथवा**

(ii) जो ऐसी सेवा से निर्दिष्ट अवधि पूरी करने के बाद कार्यमुक्त किया गया हो, परंतु, स्वयं के अनुरोध को छोड़कर बर्खास्त या दुराचरण या अक्षमता के कारण डिस्चार्ज न किया गया हो, और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो; इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं, जो सतत सेवा के लिए या अलग अलग अवधियों में क्वालिफाइंग सेवा के लिए पेंशनधारक हों; **या**

(iii) सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमिंत सेना का हिस्सा रहे हों और अपने मूल विभाग में पेंशन के साथ वापस न भेजे गए हों, तथा सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों. अथवा सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा जन्य चिकित्सा कारणों से या परिस्थितियां नियंत्रण में न होने के कारण कार्यमुक्त किए गए हों और जिन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई हो; **अथवा**

(iv) ऐसे कार्मिक जो, 14 अप्रैल, 1988 से पहले 6 महीने से अधिक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रहे हों; **अथवा**

(v) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता **अथवा**

(vi) भूतपूर्व सैनिक, जो चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए हों तथा जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो.

नोट-4: भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट नहीं दी जाएगी.

9. i) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने/आयु में छूट प्राप्त करने के इच्छुक हों, उन्हें संस्थान द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ शावि/भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदनों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत समझा जाएगा. **प्रमाणपत्रों के प्रारूप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.** किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे. उम्मीदवारों को आगाह किया जाता है कि अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/शावि के दर्जे का असत्य दावा करने के मामले में उम्मीदवार को एम्स, जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

ii) किसी भी आरक्षित श्रेणी यथा अजा/अजजा/अपिव के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों पर इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे. अपिव उम्मीदवारों का प्रमाणपत्र इस विज्ञापन के जारी होने की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए. उनकी जाति भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल होनी चाहिए और प्रमाणपत्र डीओपी एंड टी, भारत सरकार के **ओएम संख्या 36036/2/2013-स्था. (आरक्षण) दिनांक 30.05.2014 में दिए** गए प्रारूप में होना चाहिए.

iii) अपिव उम्मीदवारों की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में वर्णित जातियों के आधार पर मान्य होगी. अपिव उम्मीदवार क्रीमीलेयर से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए. उनकी उपजाति का उल्लेख अपिव की केंद्रीय सूची की प्रविष्टियों में अवश्य होना चाहिए, अन्यथा उन्हें किसी भी आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा और सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा.

iv) विकलांगता प्रमाणपत्र सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए.

10. **क्षतिपूरक समय और स्क्राइब की सहायता का प्रावधान:**

(i) दृष्टिबाधित, गतिजन्य विकलांगता (दो.हा. - दोनों हाथ प्रभावित) और सेरेब्रलपल्सी श्रेणी के विकलांगजनों के मामले में स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा लागू होगी, बशर्ते उम्मीदवार द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो. विकलांगजनों की अन्य श्रेणियों के मामले में स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक का प्रावधान तभी लागू होगा, जबकि उम्मीदवार ने गति सहित लेखन में अक्षमता का अनुरोध किया हो. परंतु, यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी, जब सम्बद्ध उम्मीदवार लिखने में भौतिक अक्षमता के बारे में किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मेडिकल सुपरिटेंडेंट से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह लिखा गया हो कि लिखित परीक्षा के लिए स्क्राइब अनिवार्य है. इस प्रमाणपत्र का प्रारूप **परिशिष्ट-1** में दिया गया है.

(ii) ऐसे उम्मीदवारों को, जिन्हें स्क्राइब की अनुमति दी गई हो, को 20 मिनट का अथवा परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए अन्यथा अपेक्षित समय दिया जाएगा.

(iii) उम्मीदवारों को स्वयं की लागत पर स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.

(iv) स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक दर्जा नीचे होनी चाहिए.

(v) उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों को इस आशय के उपयुक्त घोषणा करनी होगी कि स्क्राइब तत्संबंधी पात्रता की सभी निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है. अगर बाद में यह पाया गया कि वह कोई निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करता/करती अथवा उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी, तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, भले ही परीक्षा का परिणाम कुछ भी क्यों न रहा हो.

(vi) किसी एक उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में काम नहीं कर सकेगा.

(vii) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित स्क्राइब ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए. यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन का पता चलता है, तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. स्क्राइब के लिए पात्र और परीक्षा में उसकी सेवाएं लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को ध्यानपूर्वक इस आशय की जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देनी चाहिए. बाद में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(viii) स्क्राइब इस प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए. यदि यह पाया गया कि स्क्राइब किसी अन्य सत्र में उसी परीक्षा में बैठ रहा है, तो उम्मीद्वार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

(ix) क्षतिपूर्ति समय की रियायत केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी, जो इसके लिए पंजीकृत होंगे. उम्मीदवारों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति समय चूंकि सिस्टम आधारित होगा, इसलिए परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे उम्मीदवारों को समय देना असंभव होगा, जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण न कराया हो. क्षतिपूर्ति समय के लिए पंजीकरण न कराने वाले उम्मीदवारों को ऐसी रियायत की अनुमति नहीं दी जाएगी.

x) ये दिशा निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों के अधीन होंगे, जो समय समय पर जारी किए जा सकते हैं.

11. **परीक्षा की योजना:** अपर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए परीक्षा के अंतर्गत कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा और कौशल परीक्षण शामिल होगा.

(1) परीक्षा में निम्नांकित विषय शामिल होंगे:

भाग	विषय	अधिकतम अंक/प्रश्न	अवधि
क	सामान्य बुद्धि	50	3 घंटे*
ख	सामान्य जागरूकता	50	
ग	मात्रात्मक अभिरुचि	50	
घ	अंग्रेजी भाषा	50	

*शावि उम्मीदवारों को, जो उपरोक्त पैरा 10 में वर्णित अनुसार पात्र होंगे, एक घंटे का क्षतिपूर्ति समय दिया जाएगा.

भाग 'क' 'ख' और 'ग' के मामले में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे.

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.25 अंक** काट लिया जाएगा.

(क्रमशः)

नोट-1: संस्थान को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में परीक्षा संचालित कर सकता है. संस्थान को यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह यदि आवश्यक समझेगा, तो परीक्षा के अतिरिक्त चरण शामिल कर सकता है, जो उपयुक्त समय पर अधिसूचित किए जाएंगे.

नोट-2: परीक्षा की किसी कुंजी के लिए किसी प्रतिवेदन पर विचार, जहां कहीं आवश्यक होगा, विशेषज्ञों की मदद से किया जाएगा, और उस मामले में मूल्यांकन परिष्कृत उत्तर के साथ होगा. इस बारे में एम्स, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा और उस पर आगे किसी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

12. दस्तावेज जांच:

सफल उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज की जांच की जाएगी, जिसकी तारीख परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचित की जाएगी. लिखित परीक्षा के आधार पर अनंतिम रूप में क्वालिफाई उम्मीदवारों को निम्नांकित मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज और उनकी फोटो प्रतियों का स्व-साक्ष्यांकित सेट प्रस्तुत करना होगा:

i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रति
ii) लिखित परीक्षा के लिए जारी किए गए प्रवेश पत्रक की प्रति
iii) जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र (10वीं का प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र)
iv) 10वीं और 12वीं कक्षा की अंक तालिका/प्रमाणपत्र
v) डिप्लोमा/डिग्री प्रमाणपत्र की अंक तालिका
vi) डिप्लोमा/डिग्री प्रमाणपत्र
vii) यदि अजा/अजजा/अपिव श्रेणी से सम्बद्ध हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र
viii) यदि बेंचमार्क विकलांगता (शावि) श्रेणी से सम्बद्ध व्यक्ति के अंतर्गत आवेदन किया है, तो विकलांगता प्रमाणपत्र
ix) सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान में नियमित कर्मचारी के मामले में 'अनापत्ति प्रमाणपत्र'.
x) अनुभव प्रमाणपत्र, यदि कोई हो.
xi) पहचान प्रमाणपत्र (पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और सरकार से अनुमोदित पहचान प्रमाणपत्र)
xii) पते का प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पता प्रमाणपत्र)
xiii) कोई अन्य सम्बद्ध दस्तावेज.

13. चयन की पद्धति

i. अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक और शावि उम्मीदवार, जो अन्य समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के साथ, बिना किसी शिथिल मानदंड के स्वयं की मैरिट पर चुने जाएंगे, उन्हें आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों को समग्र योग्यता सूची में सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में, अथवा उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों में, जो भी उनके लिए अधिक लाभप्रद होगा, में समायोजित किया जाएगा. पात्र अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक और शावि उम्मीदवारों में से आरक्षित रिक्तियां अलग से भरी जाएंगी, जो सामान्य श्रेणी की योग्यता सूची के अंतिम सामान्य उम्मीदवार के योग्यता क्रम से नीचे होंगे, परंतु, उन्हें शिथिलनीय मानदंड के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त होना चाहिए.

ii. अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक और शावि श्रेणी के उम्मीदवार, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यताओं, लिखित परीक्षा के लिए अनुमत अवसरों की संख्या, विचार किए जाने के अतिरिक्त जोन आदि शिथिल मानदंड के आधार पर अर्हता प्राप्त करेंगे, उनकी गणना आरक्षित रिक्तियों के लिए की जाएगी और सामान्य रिक्तियों में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, परंतु, ऐसे उम्मीदवारों का चयन के लिए उपयुक्त होना आवश्यक होगा. ऐसे उम्मीदवारों को शिथिलनीय मानदंड पर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक, आरक्षित कोटे में कमी पूरी करने के लिए अनुशंसित किया जा सकता है, भले ही योग्यता क्रम में उनका रैंक कुछ भी क्यों न हो. जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, भूतपूर्व सैनिक की आयु में से आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए आयु घटाई जाती है और ऐसी रियायत को आयु संबंधी मानदंड में छूट नहीं कहा जा सकता. इसी प्रकार शावि उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को शिथिल मानदंड नहीं कहा जाएगा.

iii. एम्स, जोधपुर परीक्षा क्वालिफाई करने वाले ऐसे विकलांग व्यक्ति को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त समझा जा सकता है, जिसने सामान्य मानदंड के अनुसार परीक्षा दी हो और पद:सम्बद्ध विकलांगता श्रेणी के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान किया गया हो.

iv. परीक्षा में सफलता किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करेगी, जब तक कि एम्स, जोधपुर ऐसी जांच से संतुष्ट न हो जाए, जो वह सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को उपयुक्त समझे जाने हेतु आवश्यक समझता है.

v. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के सभी चरणों के लिए उनके प्रवेश को तब तक पूरी तरह अस्थायी समझा जाएगा, जब तक कि निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी किए जाने की पुष्टि नहीं हो जाती. यदि लिखित परीक्षा से पहले या बाद में किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता/करती, तो एम्स, जोधपुर द्वारा ऐसे उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

vi. भर्ती परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग अंक अना के लिए 40 प्रतिशत, अपिव के लिए 35 प्रतिशत और अजा/अजजा/शावि के लिए 30 प्रतिशत होंगे.

14. कदाचार का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

उम्मीदवारों को आगाह किया जाता है कि वे आवेदन प्रपत्र भरते समय कोई असत्य जानकारी न दें, या किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं. उम्मीदवारों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे किसी दस्तावेज या उनके द्वारा जमा कराई गई साक्ष्यांकित प्रति में किसी प्रविष्टि को बदलने या अन्य तरह से छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें और न ही वे कोई अवैध/जाली दस्तावेज जमा कराएं. ओएमआर शीट में कोई त्रुटि होने या कोई विसंगति होने की स्थिति में उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

एम्स जोधपुर, द्वारा आपराधिक कार्रवाई/संस्थान की परीक्षा में बैठने से रोक लगाने के अधिकार को प्रभावित किए बिना, निम्नांकित कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों के संदर्भ में उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी चरण में रद्द कर दी जाएगी:

(i) मोबाइल फोन और अनुषंगी वस्तुएं तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के भीतर उम्मीदवार के पास या अन्यथा पाया जाना, भले ही वे इस्तेमाल में हों अथवा स्विच ऑफ मोड में हो.
(ii) उम्मीदवार का भ्रष्ट तरीकों में शामिल पाया जाना.
(iii) परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का इस्तेमाल.
(iv) किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाना.
(v) किसी व्यक्ति का वेष धारण करना/किसी व्यक्ति को स्वयं के वेष में प्रस्तुत करना.
(vi) जाली दस्तावेज या हेराफेरी किए गए दस्तावेज जमा कराना.
(vii) असत्य या गलत जानकारी देना या महत्वपूर्ण सूचना छिपाना.
(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अन्य अवैध या अनुचित तरीका अपनाना.
(ix) परीक्षा हॉल में सुपरवाइजर, परीक्षक या एम्स, जोधपुर के प्रतिनिधियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करना.
(x) परीक्षा हॉल से उत्तर पुस्तिका अपने साथ बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के संचालन के दौरान उसे किसी अनधिकृत व्यक्ति को सौंपना.
(xi) एम्स, जोधपुर द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए तैनात किए गए स्टाफ को डराना धमकाना या शारीरिक क्षति पहुंचाना.
(xii) नोटिस में वर्णित पात्रता मानदंड पूरे न करने के कारण परीक्षा के लिए अपात्र होना.
(xiii) एम्स, जोधपुर द्वारा उम्मीदवारी रद्द किए जाने के लिए उपयुक्त समझे गए किसी अन्य आधार पर भी भर्ती के लिए किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

15. एम्स, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा :

पात्रता, आवेदन स्वीकार करने या रद्द करने, गलत जानकारी के लिए दंड, भर्ती की पद्धति, परीक्षा के संचालन, परीक्षा केंद्रों के आवंटन और चयन आदि सभी मामलों में एम्स, जोधपुर का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा. इस बारे में किसी जांच/पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

16. सेवारत (सरकारी सेवा के मामले में) उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच के समय अपने नियोक्ता से **''अनापत्ति प्रमाणपत्र''** प्रस्तुत करना होगा और संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने के समय वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

उम्मीदवारों के लिए अन्य जानकारी

(1) **परिवीक्षा अवधि :- परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी.**
(2) जहां कहीं निर्धारित हो, अनुभव की गणना निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद से की जाएगी.
(3) आवश्यकता पड़ने पर कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा/ऑफलाइन परीक्षा जोधपुर में होगी. परंतु, एम्स जोधपुर को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी अन्य स्थान पर भी परीक्षा का आयोजन कर सकता है.
(4) एम्स, जोधपुर को किसी केंद्र को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और वह उस केंद्र में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने को कह सकता है. एम्स जोधपुर को यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह क्षेत्र के भीतर या बाहर किसी एक केंद्र के उम्मीदवारों को अन्य केंद्र पर परीक्षा के लिए कह सकता है.
(5) भारी संख्या में आवेदनों की उम्मीद को देखते हुए, यह संभव है कि परीक्षा के समय पात्रता मानदंडों की जांच न की जा सके, इसलिए आवेदन को केवल अस्थायी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु आदि अपेक्षाओं का भलीभांति अध्ययन करें और आवेदन करने से पहले स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लें कि वे पात्र हैं. यदि दस्तावेज की जांच के समय आवेदन में प्रदत्त जानकारी या दावे की पुष्टि नहीं की जाती है, तो परीक्षा के बाद भी एम्स, जोधपुर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है. इस बारे में एम्स, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा.
(6) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस में निहित व्यापक अनुदेशों का भलीभांति अध्ययन करें, जो हमारी वेबसाइट **www.aiimsjodhpur.edu.in** पर भी उपलब्ध हैं.
(7) अजा/अजजा/अपिव/शावि/भूपूसै के लिए आरक्षण लाभ के इच्छुक उम्मीदवारों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नोटिस में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं. उनके पास अपने दावे के समर्थन में इस नोटिस में वर्णित निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होना चाहिए. अपिव उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्धारित तारीख के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपिव प्रमाणपत्र रखते हैं.
(8) केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी, जो आयु में छूट का दावा करने के इच्छुक हैं, को दस्तावेज जांच के समय, सेवा की अवधि की निरंतरता के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका प्रारूप एम्स, जोधपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध है. सेवा की अवधि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से कम से कम 3 वर्ष अवश्य होनी चाहिए. चयन होने की स्थिति में उनका नियुक्ति के समय तक केंद्र सरकार का सिविलियन कर्मचारी होना अनिवार्य होगा.
(9) मोबाइल फोन, अनुषंगी वस्तुओं और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र परिसरों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे उपकरणों का परीक्षा के समय पाया जाना, भले ही वे इस्तेमाल में हों या स्विच ऑफ मोड में हों, अनुचित तरीकों का इस्तेमाल समझा जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने और एम्स, जोधपुर की परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगाने सहित अन्य ऐसी कार्रवाई भी की जाएगी, जो एम्स, जोधपुर तय कर सकता है.
(10) उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटरकार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचानपत्र, आय कर पेन कार्ड आदि में से कम से कम एक फोटो पहचानपत्र मूल रूप में अपने साथ अवश्य लाना होगा, अन्यथा परीक्षा में उन्हें बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
(11) प्रमाणपत्रों/अनुलग्नकों के प्रारूप के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट **http://www.aiimsjodhpur. edu.in** पर लॉगआन करें.
(12) ये पद पूर्णकालिक हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी.
(13) उम्मीदवारों को शिफ्टों में काम करना होगा और संस्थान में किसी भी स्थान पर उन्हें तैनात किया जा सकता है.
(14) उम्मीदवारों की नियुक्ति संस्थान से सम्बद्ध ग्रामीण स्वास्थ्य और शहरी केंद्रों में की जा सकती है, जिसकी अवधि संस्थान द्वारा तय की जाएगी.
(15) एम्स को नियुक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है.
(16) अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
(17) किसी भी रूप में सिफारिश अयोग्यता मानी जाएगी.
(18) उम्मीदवार को किसी विधि अदालत द्वारा दोषी न ठहराया गया हो.
(19) उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी या की गई घोषणा असत्य पाए जाने अथवा इस नियुक्ति से सम्बद्ध कोई महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीदवार द्वारा जानबूझ कर छिपाए जाने की स्थिति में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और ऐसी अन्य कार्रवाई की जाएगी, जो नियोक्ता अधिकारी उपयुक्त समझे.
(20) सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई नोटिस दिए इस विज्ञापन में कोई संशोधन करने, इसे आंशिक या पूर्ण रूप में रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.
(21) परीक्षा के संचालन, इंटरव्यू, दस्तावेज की जांच और चयन के मामले में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा. इस बारे में किसी प्रतिवेदन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
(22) किसी भी विवाद का निपटारा जोधपुर स्थित विधि अदालत के अधीन होगा.

स्पष्टीकरण और पूछताछ:

विज्ञापन के संदर्भ में:

कृपया मेल करें:- recruitment2@aiimsjodhpur.edu.in

संपर्क करें: 0291-0291-2740741 (पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक)

प्रशासनिक अधिकारी

एम्स, जोधपुर

(शेष पृष्ठ 25 पर)

(पृष्ठ 24 का शेष)

परिशिष्ट- 1

किसी परीक्षा के लिए लिखने में शारीरिक अक्षमता के बारे में प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मैने श्री/कुमारी/श्रीमती........................(विकलांग व्यक्ति का नाम लिखें), सुपुत्र/सुपुत्री श्री...निवासी.. (गांव/जिला/राज्य) की जांच की है, जो .... (विकलांगता का स्वरूप और प्रतिशत का उल्लेख विकलांगता प्रमाणपत्र में किया गया है) से बाधित है.

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि इस अक्षमता के कारण उसकी लिखने की क्षमता बाधित है.

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

राजकीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम और मुहर

स्थान :

तारीख :

नोट : यह प्रमाणपत्र सम्बद्ध विषय/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृष्टिबाधित- नेत्र रोग विशेषज्ञ, गति विषयक विकलांगता-ऑर्थोपीडिक विशेषज्ञ/पीएमआर)

रो.स. 40/29